शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 29 /38–6–13–11एसजीएसवाई/04

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
गोपन,
उ0प्र0 शासन।

ग्राम्य विकास अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 19 फरवरी, 2013

विषयः–स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनावश्यक रूप से भारी मात्रा में पुस्तको तथा मुद्रित सामग्री के कय आदि की प्रकिया में अनियमितता बरते जाने विषयक ई0ओ0डब्ल्यू0 की जांच पर विभागीय अभिमत के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनावश्यक रूप से भारी मात्रा में पुस्तको तथा मुद्रित सामग्री के कय आदि की प्रकिया में अनियमितता बरते जाने विषयक ई0ओ0डब्ल्यू0 की जांच पर विभागीय अभिमत उपलब्ध कराये जाने विषयक गोपन अनुभाग–8 के निम्नांकित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करेंः–

1– सं0–1910/25–8–2006–17(60)/2005 दिनांक 09.08.2007
2– सं0–897/25–8–2006–17(60)/2005 दिनांक 14.09.2007
3– सं0–35/25–8–2006–17(60)/2005 दिनांक 30.01.2008
4– सं0–457/25–8–2006–17(60)/2005 दिनांक 05.05.2008
5– सं0–1017/25–8–2006–17(60)/2005 दिनांक 06.08.2008
6– सं0–2247/25–8–2006–17(60)/2005 दिनांक 02.01.2009
7– सं0–20/25–8–2006–17(60)/2005 दिनांक 03.03.2009
8– सं0–378/25–8–2006–17(60)/2005 दिनांक 21.04.2009
9– सं0–377/25–8–2006–17(60)/2005 दिनांक 04.05.2009
10– सं0–441/25–8–2006–17(60)/2005 दिनांक 31.03.2010
11– सं0–941/25–8–2006–17(60)/2005 दिनांक 09.07.2010

2– उक्त उपरिल्लिखित पत्रों द्वारा कमशः जनपद–मिर्जापुर, महाराजगंज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, झांसी, गोरखपुर, गोण्डा, बाराबंकी, बस्ती, हरदोई, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बांदा एवं मऊ की आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ई0ओ0डब्ल्यू0) की जांच आख्यायें आवश्यक कार्यवाही/अभिमत हेतु उपलब्ध करायी गयी है। विभाग द्वारा उक्त जांच आख्याओं पर सम्यक विचारोपरान्त प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों/कर्मचारियों/ व्यक्तियों के विरूद्ध निम्नलिखित कार्यवाही का निर्णय लिया गया हैः–

(1) ऐसे कार्मिकों (गैर सरकारी व्यक्तियों को छोड़कर) का विवरण, जिनके विरूद्ध ई0ओ0डब्ल्यू0 द्वारा जॉच आख्या में पुस्तकों आदि का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट प्रिंन्टिंग प्रेस से कराते हुए शासकीय वित्तीय क्षति की धनराशि इंगित की गयी है और इस क्षति के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों आदि को दोषी पाया गया है और उनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति दिये जाने की संस्तुति की गयी है जिसे ग्राम्य विकास विभाग द्वारा स्वीकार किया जा रहा हैः–

क0 सं0	जनपद का नाम	आरोपित अधिकारी/कर्मचारी का नाम / पदनाम	कुल आंकलित शासकीय हानि (रू0)
1	2	3	4
1.	मिर्जापुर	1–श्री दिनकर दूबे, मुख्य विकास अधिकारी, मिर्जापुर 2–श्री भरत लाल राय, मुख्य विकास अधिकारी, मिर्जापुर 3–श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह, परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मिर्जापुर 4–श्री घनश्याम सिंह, सहायक संख्याधिकारी, डी0आर0 डी0ए0, मिर्जापुर 5–श्री बालेश्वर प्रसाद यादव, परियोजना अर्थशास्त्री, डी0आर0डी0ए0, मिर्जापुर 6–श्री भैया लाल चौधरी, लेखाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, मिर्जापुर 7–श्री नन्द लाल पाण्डेय, लेखाकार, डी0आर0डी0ए0, मिर्जापुर 8–श्री चुनमुन राम, पटल सहायक, डी0आर0डी0ए0, मिर्जापुर। 9–श्री राधाकृष्ण भारती, निरीक्षक/सचिव, संयुक्त समिति पंचायत उद्योग खोराबार, गोरखपुर 10–श्री अशोक कुमार पाठक, सचिव, पंचायत उद्योग देवरिया। 11–श्री रमेश चन्द्र दुबे, कनिष्ठ लिपिक, डी0आर0डी0ए0, मिर्जापुर। 12–श्री चन्द्रपाल अरुण,अपर आयुक्त,ग्राम्य विकास, उ0प्र0। 13–श्री सीताराम चतुर्वेदी,खं0वि0अधि0, जमालपुर, मिर्जापुर। 14–श्री रामधनी वर्मा, ए0डी0ओ0, आई0एस0बी0, विकास खण्ड–जमालपुर, मिर्जापुर। 15–श्री शीतला प्रसाद सिंह, ए0डी0ओ0, आई0एस0बी0, विकास खण्ड–जमालपुर, मिर्जापुर।	15,19,079.05
2.	बस्ती	1–श्री हरी लाल पासी, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी 2–श्री दिवाकर त्रिपाठी, तत्कालीन परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, बस्ती 3–श्री हरबीर सिंह, तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक 4–श्री मो0 असलम, तत्कालीन बिल बाबू/स्टोर कीपर 5–श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक लेखाकार 6–श्री राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय, तत्कालीन परियोजना निदेशक,डी0आर0डी0ए0, बस्ती 7–श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, सचिव/ प्रबन्धक, पंचायत उद्योग, बस्ती।	13,41,500.00
3.	बाराबंकी	1–श्री सधऊ प्रसाद,तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी 2–श्री राम गणेश, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी 3–श्री गया प्रसाद द्विवेदी, तत्कालीन सचिव/प्रबन्धक 4–श्री राधारमण शुक्ला, क्षेत्रीय प्रबन्धक 5–श्री धीरेन्द्र कुमार गुलाटी, सहायक लेखाकार 5–श्री चन्द्रपाल अरुण, अपर आयुक्त(कार्यकम) 6–श्री एस0पी0 अंजोर, मुख्य विकास अधिकारी 7–श्री बैजनाथ राम, परियोजना निदेशक	26,90,070.00

		8—मो0 असलम, स्टोर कीपर/बिल बाबू 9—श्री हरबीर सिंह, क्षेत्रीय प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0,लखनऊ	
4.	बहराइच	1—श्री विष्णु स्वरूप मिश्र, तत्का0 मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच 2—श्री अवधेश बहादुर सिंह, तत्का0 परियोजना निदेशक, बहराइच 3—श्री गया प्रसाद द्विवेदी, सचिव/प्रबन्धक, गोण्डा केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0, गोण्डा 4—श्री चन्द्रपाल अरुण, अपर आयुक्त, कार्यक्रम	12,80,665.00
5.	गोरखपुर	1—श्री रामचन्द्र, तत्का0 मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर। 2—श्री जय प्रकाश मिश्रा, तत्का0 मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर (मृत्यु हो चुकी है)। 3—श्री इन्द्रदेव द्विवेदी, तत्कालीन परियोजना निदेशक, गोरखपुर। 4—श्री यतीन्द्र मोहन, सचिव/निरीक्षक, संयुक्त समिति, केन्द्रीय पंचायत उद्योग, गोरखपुर।	4,50,000.00
6.	हरदोई	1—श्री प्रभात कुमार सिन्हा, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई। 2—श्री प्रभुनाथ प्रसाद वर्मा, तत्कालीन परियोजना निदेशक, हरदोई। 3—श्री हरबीर सिंह, तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 कानपुर। 4—श्री अनिल कुमार जायसवाल, तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 कानपुर। 5—श्री सिद्धनाथ त्रिपाठी, तत्का0 लिपिक/सहा0 लेखा0, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 कानपुर। 6—श्री मो0 असलम, बिल बाबू/स्टोर कीपर, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 कानपुर। 7—श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक लेखाकार, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ।	34,17,437.00
7.	कौशाम्बी	1—श्री अरविन्द सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी। 2—आर0पी0 यादव, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कौशाम्बी। 3—विनोद कुमार मिश्रा, लेखाकार, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कौशाम्बी। 4—सै0 मुहम्मद मुस्तफा, नाजिर/पटल सहायक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कौशाम्बी। 5—अरुण कुमार निगम, प्रबन्धक, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, अपना बाजार, लालबाग, लखनऊ।	21,85,000.00
8.	सिद्धार्थ नगर	1—श्री विष्णु स्वरूप मिश्र, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर। 2—श्री आर0सी0 गोस्वामी, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर। 3—श्री रामराज सिंह यादव, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी,	8,36,142.00 का अधिक भुगतान किया गया है।

		सिद्धार्थनगर। 4—श्री वीरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, तत्कालीन परियोजना निदेशक, डी0 आर0 डी0 ए0, सिद्धार्थनगर 5—श्री गया प्रसाद द्विवेदी, तत्कालीन सचिव/प्रबन्धक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0, गोण्डा। 6—श्री चन्द्रपाल अरूण, तत्कालीन अपर आयुक्त (कार्यक्रम), ग्राम्य विकास, जवाहर भवन,लखनऊ।	
9.	बांदा	1—श्री शमी उल्लाह अन्सारी, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, बांदा। 2—श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, बांदा। 3—श्री जावेद अख्तर जैदी, तत्कालीन परियोजना निदेशक,डी0आर0डी0ए0,बांदा।	4,17,550.00 का अधिक भुगतान किया गया।
10.	मऊ	1— श्री काशी प्रसाद, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, मऊ (मृतक) 2— श्री जानकी प्रसाद, तत्कालीन परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मऊ। 3— श्री अशोक कुमार पाठक, ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव प्रिन्टिंग प्रेस कलेक्ट्रेट कचेहरी, परिसर, गोरखपुर। 4— श्री यतीन्द्र मोहन त्रिपाठी, पंचायत उद्योग निरीक्षक, उद्योग प्रिन्टिस प्रेस कलेक्ट्रेट कचेहरी, परिसर, गोरखपुर। 5— श्री हरवीर सिंह, तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, बालाकदर रोड, लखनऊ। 6— श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, नि0 मो0 शिवपुर, तेलीटोला, रिकातंगत, थाना कोतवाली, फैजाबाद, ग्राम पंचायत अधिकारी, प्रबन्धक जिला पंचायत उद्योग प्रिन्टिंस प्रेस, बस्ती।	7,99,750.00 का अधिक व्यय किया गया।

(2) ई0ओ0डब्ल्यू0 की जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त यह स्थिति प्रकाश में आई है कि जनपद—झांसी, गोण्डा, महराजगंज तथा प्रतापगढ़ में एस0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत क्रय की गयी सामग्री/किताबों का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट प्रिन्टिंग प्रेस अथवा बाजार मूल्य से ई0ओ0डब्ल्यू0 द्वारा नहीं किया गया है और वास्तविक रूप से क्षति की धनराशि आंकलित नहीं की गयी है। ई0ओ0डब्ल्यू0 द्वारा भारी मात्रा में शासकीय वित्तीय क्षति होने का उल्लेख किया गया है तथा प्रकरण में अन्तर्ग्रस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवही/अभियोजन स्वीकृत करने की संस्तुति की गई है। ई0ओ0डब्ल्यू0 की जांच आख्या में निकाले गये निष्कर्ष व उसके समर्थन में उल्लिखित साक्ष्यों के आलोक में उक्त जनपदों के संबंधित कार्मिकों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता है। ऐसे जनपदों का विवरण, जिनके बारे में वास्तविक क्षति का आंकलन ई0ओ0डब्ल्यू0 की जॉच आख्या में नहीं किया गया है, किन्तु उक्त जनपदों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अभियोजन/विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की गई है। जॉच आख्या के परीक्षणोपरान्त विभागीय कार्यवाही किये जाने का निर्णय ग्राम्य विकास विभाग द्वारा लिया गया है—

क0 सं0	जनपद का नाम	आरोपित अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम	कुल आंकलित शासकीय हानि (रू0)
1	2	3	4
1.	झॉसी	1—श्री संजय कृष्ण, तत्कालीन सी0डी0ओ0, झॉसी	क्षति की धनराशि

		2—श्री जे0पी0 गुप्ता, तत्कालीन सी0डी0ओ0, झाँसी 3—श्री अमर सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह निवासी तुलसी पार्क, बलरामपुर, तत्कालीन परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, झाँसी। 4—श्री महेश चन्द्र साहू, परियोजना अर्थशास्त्री, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, झाँसी। 5—श्री राजकुमार खरे, संख्या सहायक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, झाँसी। 6—श्री राजेश कुमार शर्मा, आंकिक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, झाँसी। 7—श्री धनीराम, लिपिक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, झाँसी। 8—श्री अनिल कुमार जायसवाल, तत्कालीन शाखा प्रबन्धक, यूपीएसएस, कानपुर। 9—श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह, तत्का0 बी0डी0ओ0, ब्लाक बामौर, झाँसी। 10—श्री कैलाश बहादुर श्रीवास्तव, तत्का0 लिपिक आई0आर0डी0 ब्लाक बामोर, झाँसी। 11—श्री मन प्यारे प्रबल, तत्का0 ए0डी0ओ0, ब्लाक बामोर/गुरसरांय, झाँसी। 12—श्री राज कुमार कोरी, तत्का0 लिपिक, आई0आर0डी0 ब्लाक गुरसरांय, झाँसी। 13—श्री अखिलेश कुमार वैश्य, तत्का0 बी0डी0ओ0, बामोर/गुरसरांय, झाँसी।	आंकलित नहीं की गयी है। काफी मात्रा में शासकीय वित्तीय क्षति होने का उल्लेख किया गया है।
2.	गोण्डा	1—श्री हरी लाल पासी, मुख्य विकास अधिकारी 2—श्री शरीफ अहमद, मुख्य विकास अधिकारी 3—श्री नन्द किशोर, मुख्य विकास अधिकारी 4—श्री राजबली पाल, परियोजना निदेशक 5—श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, परियोजना निदेशक 6—श्री गया प्रसाद द्विवेदी, सचिव, गोण्डा केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0, गोण्डा। 7—श्री राम नेवाज सिंह, प्रबन्धक/सचिव, पंचायत उद्योग, मंझरी, गोण्डा।	पुस्तार्कों/स्टेशनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट प्रिन्टिंग प्रेस या किसी अन्य स्रोत से कराते हुए क्षति की धनराशि आंकलित नहीं की गयी है। केवल काफी मात्रा में शासकीय वित्तीय क्षति होने का उल्लेख किया गया है।
3.	महराजगंज	1—श्री श्याम कृष्ण, मुख्य विकास अधिकारी 2—श्री राधेश्याम गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी 3—श्री दिवाकर त्रिपाठी, परियोजना निदेशक 4—श्री बैजनाथ राम, परियोजना निदेशक 5—श्री एन0के0 त्रिपाठी, परियोजना निदेशक 6—प्रमोद कुमार सिंह, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी 7—श्री संतोष कुमार अवस्थी, तत्का0 कनिष्ठ लिपिक 8—श्री बुद्धिसागर शुक्ला, तत्का0 लेखाकार 9—श्रीकृष्ण मुरारी सिंह, तत्का0 कनिष्ठ लेखा लिपिक 10—श्री यतीन्द्र मोहन त्रिपाठी, पंचायत उद्योग निरीक्षक, संयुक्त समिति केन्द्रीय पंचायत	क्षति की धनराशि आंकलित नहीं की गयी है। शासकीय वित्तीय क्षति होने का उल्लेख किया गया है।

		उद्योग, कचहरी परिसर, गोरखपुर। 11—राधाकृष्ण भारती, ग्राम पंचायत अधिकारी, निरीक्षक, पंचायत उद्योग, खोराबार ब्लाक, गोरखपुर। 12—जगदीश कुमार श्रीवास्तव, संख्या सहायक, डी0आर0डी0ए0, महराजगंज।	
4.	प्रतापगढ़	1—श्री चन्द्रपाल अरूण, तत्कालीन अपर आयुक्त (कार्यक्रम) ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ। 2—श्री श्याम कृष्ण, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़। 3—श्री राजीव बनकटा, परियोजना निदेशक, डी0 आर0डी0ए0, प्रतापगढ़। 4—श्री आर0बी0पाल, तत्कालीन परियोजना निदेशक, प्रतापगढ़। 5—श्री शिव प्रसाद, नाजिर/स्टोर क्लर्क। 6—श्री शिव कुमार सिंह, परियोजना आर्थशस्त्री। 7—श्री राजाराम, लेखाकार 8—श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, सहायक लेखाकार/क्लर्क। 9—श्री हरिशंकर दुबे, संख्या सहायक, 10—श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, क्लर्क/नाजिर 11—श्री राधा कृष्ण भारती, निरीक्षक संयुक्त समिति पंचायत उद्योग खोराबार, गोरखपुर। 12—श्री ए0के0 कुदेशिया, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 लधु उद्योग नि0लि0, 5वी बटरा रोड,इलाहाबाद।	क्षति की धनराशि आंकलित नहीं की गयी है। शासकीय वित्तीय क्षति होने का उल्लेख किया गया है।

(3) जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त यह स्थिति प्रकाश में आई है कि प्रश्नगत सभी 14 जनपदों में लेखन सामग्री/किताबों/प्रचार सामग्री की आपूर्ति लेने से पूर्व टेण्डर/कोटेशन की प्रकिया नहीं अपनायी गयी है। आपूर्तित सामग्री की गुणवत्ता जांचने के लिए भी कोई कमेटी नहीं बनायी गयी। आपूर्ति लेने से पूर्व आवश्यकता का आंकलन भी नहीं किया गया तथा किस आधार पर भारी मात्रा में स्टेशनरी/किताबो की आपूर्ति लेने का निर्णय लिया गया, यह भी स्पष्ट नहीं है। इसको दृष्टिगत रखते हुए यह अभिमत है कि प्रकरण में संलिप्त प्रश्नगत सभी 14 जनपदों के अधिकारियों/कर्मचारियों (ऐसे कार्मिकों को छोड़कर जिन्हें सेवानिवृत्त हुए चार वर्ष हो चुके हों अथवा जिनकी मृत्यु हो चुकी हो) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाय। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण, जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाई संस्थित किया जाना प्रस्तावित है:—

क0 सं0	जनपद का नाम	आरोपित अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम
1	2	3
1.	मिर्जापुर	1—श्री दिनकर दूबे, मुख्य विकास अधिकारी, मिर्जापुर 2—श्री भरत लाल राय, मुख्य विकास अधिकारी, मिर्जापुर 3—श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह, परियोजना निदेशक,डी0 आर0डी0ए0, मिर्जापुर 4—श्री घनश्याम सिंह, सहायक संख्याधिकारी, डी0आर0 डी0ए0, मिर्जापुर 5—श्री बालेश्वर प्रसाद यादव, परियोजना अर्थशास्त्री, डी0आर0डी0ए0, मिर्जापुर

		6—श्री भैया लाल चौधरी, लेखाधिकारी, डी0आर0डी0ए0, मिर्जापुर 7—श्री नन्द लाल पाण्डेय, लेखाकार, डी0आर0डी0ए0, मिर्जापुर 8—श्री चुनमुन राम, पटल सहायक, डी0आर0डी0ए0, मिर्जापुर। 9—श्री राधाकृष्ण भारती, निरीक्षक/सचिव, संयुक्त समिति पंचायत उद्योग खोराबार, गोरखपुर 10—श्री अशोक कुमार पाठक, सचिव, पंचायत उद्योग देवरिया। 11—श्री रमेश चन्द्र दुबे, कनिष्ठ लिपिक, डी0आर0डी0ए0, मिर्जापुर। 12—श्री चन्द्रपाल अरुण,अपर आयुक्त,ग्राम्य विकास, उ0प्र0। 13—श्री सीताराम चतुर्वेदी,खं0वि0अधि0, जमालपुर, मिर्जापुर। 14—श्री रामधनी वर्मा,ए0डी0ओ0, आई0एस0बी0, विकास खण्ड—जमालपुर, मिर्जापुर। 15—श्री शीतला प्रसाद सिंह, ए0डी0ओ0, आई0एस0बी0, विकास खण्ड—जमालपुर, मिर्जापुर।
2.	बस्ती	1—श्री हरी लाल पासी, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी 2—श्री दिवाकर त्रिपाठी, तत्कालीन परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, बस्ती 3—श्री हरबीर सिंह, तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक 4—श्री मो0 असलम, तत्कालीन बिल बाबू/स्टोर कीपर 5—श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक लेखाकार 6—श्री राजेन्द्र प्रसाद उपाध्याय, तत्कालीन परियोजना निदेशक, डी0आर0 डी0ए0, बस्ती 7—श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, सचिव/प्रबन्धक, पंचायत उद्योग, बस्ती।
3.	बाराबंकी	1—श्री सधउ प्रसाद, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी 2—श्री राम गणेश, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी 3—श्री गया प्रसाद द्विवेदी, तत्कालीन सचिव/प्रबन्धक 4—श्री राधारमण शुक्ला, क्षेत्रीय प्रबन्धक 5—श्री धीरेन्द्र कुमार गुलाटी, सहायक लेखाकार 5—श्री चन्द्रपाल अरुण, अपर आयुक्त(कार्यकम) 6—श्री एस0पी0 अंजोर, मुख्य विकास अधिकारी 7—श्री बैजनाथ राम, परियोजना निदेशक 8—मो0 असलम, स्टोर कीपर/बिल बाबू 9—श्री हरबीर सिंह, क्षेत्रीय प्रबन्धक, क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
4.	बहराइच	1—श्री विष्णु स्वरूप मिश्र, तत्का0 मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच 2—श्री अवधेश बहादुर सिंह, तत्का0 परियोजना निदेशक, बहराइच 3—श्री गया प्रसाद द्विवेदी, सचिव/प्रबन्धक, गोण्डा केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0, गोण्डा 4—श्री चन्द्रपाल अरुण, अपर आयुक्त, कार्यकम
5.	गोण्डा	1—श्री हरी लाल पासी, मुख्य विकास अधिकारी 2—श्री शरीफ अहमद, मुख्य विकास अधिकारी 3—श्री नन्द किशोर, मुख्य विकास अधिकारी 4—श्री राजबली पाल, परियोजना निदेशक 5—श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, परियोजना निदेशक 6—श्री गया प्रसाद द्विवेदी, सचिव, गोण्डा केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0, गोण्डा। 7—श्री राम नेवाज सिंह, प्रबन्धक/सचिव, पंचायत उद्योग, मंझरी, गोण्डा।

6.	गोरखपुर	1–श्री रामचन्द्र, तत्का0 मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर। 2–श्री जय प्रकाश मिश्रा, तत्का0 मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर (मृत्यु हो चुकी है)। 3–श्री इन्द्रदेव द्विवेदी, तत्कालीन परियोजना निदेशक, गोरखपुर। 4–श्री यतीन्द्र मोहन, सचिव/निरीक्षक, संयुक्त समिति, केन्द्रीय पंचायत उद्योग, गोरखपुर।
7.	हरदोई	1–श्री प्रभात कुमार सिन्हा, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई। 2–श्री प्रभुनाथ प्रसाद वर्मा, तत्कालीन परियोजना निदेशक, हरदोई। 3–श्री हरबीर सिंह, तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 कानपुर। 4–श्री अनिल कुमार जायसवाल, तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 कानपुर। 5–श्री सिद्धनाथ त्रिपाठी, तत्का0 लिपिक/सहा0 लेखा0, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 कानपुर। 6–श्री मो0 असलम, बिल बाबू/स्टोर कीपर, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 कानपुर। 7–श्री ओम प्रकाश सिंह, सहायक लेखाकार, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
8.	झाँसी	1–श्री संजय कृष्ण, तत्कालीन सी0डी0ओ0, झाँसी 2–श्री जे0पी0 गुप्ता, तत्कालीन सी0डी0ओ0, झाँसी 3–श्री अमर सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह निवासी तुलसी पार्क, बलरामपुर, तत्कालीन परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, झाँसी। 4–श्री महेश चन्द्र साहू, परियोजना अर्थशास्त्री, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, झाँसी। 5–श्री राजकुमार खरे, संख्या सहायक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, झाँसी। 6–श्री राजेश कुमार शर्मा, आंकिक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, झाँसी। 7–श्री धनीराम, लिपिक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, झाँसी। 8–श्री अनिल कुमार जायसवाल, तत्कालीन शाखा प्रबन्धक, यूपीएसएस, कानपुर। 9–श्री गजेन्द्र प्रताप सिंह, तत्का0 बी0डी0ओ0, ब्लाक बामौर, झाँसी। 10–श्री कैलाश बहादुर श्रीवास्तव, तत्का0 लिपिक आई0आर0डी0 ब्लाक बामोर, झाँसी। 11–श्री मन प्यारे प्रबल, तत्का0 ए0डी0ओ0, ब्लाक बामोर/गुरसरांय, झाँसी। 12–श्री राज कुमार कोरी, तत्का0 लिपिक, आई0आर0डी0 ब्लाक गुरसरांय, झाँसी। 13–श्री अखिलेश कुमार वैश्य, तत्का0 बी0डी0ओ0, बामोर/गुरसरांय, झाँसी।
9.	कौशाम्बी	1–श्री अरविन्द सिंह, मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी। 2–आर0पी0 यादव, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कौशाम्बी। 3–विनोद कुमार मिश्रा, लेखाकार, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कौशाम्बी। 4–सै0 मुहम्मद मुस्तफा, नाजिर/पटल सहायक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कौशाम्बी। 5–अरुण कुमार निगम, प्रबन्धक, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, अपना बाजार, लालबाग, लखनऊ।

10	महराजगंज	1–श्री श्याम कृष्ण, मुख्य विकास अधिकारी 2–श्री राधेश्याम गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी 3–श्री दिवाकर त्रिपाठी, परियोजना निदेशक 4–श्री बैजनाथ राम, परियोजना निदेशक 5–श्री एन0के0 त्रिपाठी, परियोजना निदेशक 6–प्रमोद कुमार सिंह, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी 7–श्री संतोष कुमार अवस्थी, तत्का0 कनिष्ठ लिपिक 8–श्री बुद्धिसागर शुक्ला, तत्का0 लेखाकार 9–श्रीकृष्ण मुरारी सिंह, तत्का0 कनिष्ठ लेखा लिपिक 10–श्री कृष्ण चन्द्र कौशल पुत्र स्व0 चन्द्रिका प्रसाद कौशल, ग्राम छेदापुर, थाना सतरिख, बाराबंकी। 11–श्री यतीन्द्र मोहन त्रिपाठी, पंचायत उद्योग निरीक्षक, संयुक्त समिति केन्द्रीय पंचायत उद्योग, कचहरी परिसर, गोरखपुर। 12–राधाकृष्ण भारती, ग्राम पंचायत अधिकारी, निरीक्षक, पंचायत उद्योग, खोराबार ब्लाक, गोरखपुर। 13–जगदीश कुमार श्रीवास्तव, संख्या सहायक, डी0आर0डी0ए0, महराजगंज। 14–गोरखनाथ यादव, प्रधान लिपिक, डी0आर0डी0ए0, महराजगंज। 15–अवधेश कुमार, तत्कालीन सचिव, पंचायत उद्योग, सरोजनी नगर लखनऊ।
11	सिद्धार्थ नगर	1–श्री विष्णु स्वरूप मिश्र, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर। 2–श्री आर0सी0 गोस्वामी, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर। 3–श्री रामराज सिंह यादव, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर। 4–श्री वीरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, तत्कालीन परियोजना निदेशक, डी0 आर0 डी0 ए0, सिद्धार्थनगर 5–श्री गया प्रसाद द्विवेदी, तत्कालीन सचिव/ प्रबन्धक केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार लि0, गोण्डा। 6–श्री चन्द्रपाल अरूण, तत्कालीन अपर आयुक्त (कार्यकम), ग्राम्य विकास, जवाहर भवन,लखनऊ।
12	बांदा	1–श्री शमी उल्लाह अन्सारी, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, बांदा। 2–श्री सन्तोष कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, बांदा। 3–श्री जावेद अख्तर जैदी, तत्कालीन परियोजना निदेशक,डी0आर0 डी0ए0,बांदा।
13	मऊ	1–श्री काशी प्रसाद, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, मऊ (मृतक) 2–श्री जानकी प्रसाद, तत्कालीन परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मऊ। 3–श्री अशोक कुमार पाठक, ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव प्रिन्टिंग प्रेस कलेक्ट्रेट कचेहरी, परिसर, गोरखपुर। 4– श्री यतीन्द्र मोहन त्रिपाठी, पंचायत उद्योग निरीक्षक, उद्योग प्रिन्टिस प्रेस कलेक्ट्रेट कचेहरी, परिसर, गोरखपुर। 5– श्री हरवीर सिंह, तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, बालाकदर रोड, लखनऊ। 6– श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, नि0 मो0 शिवपुर, तेलीटोला, रिकातंगत, थाना कोतवाली, फैजाबाद, ग्राम पंचायत अधिकारी, प्रबन्धक जिला पंचायत उद्योग प्रिन्टिंस प्रेस, बस्ती।
14	प्रतापगढ़	1–श्री चन्द्रपाल अरूण, तत्कालीन अपर आयुक्त (कार्यकम) ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ। 2–श्री श्याम कृष्ण, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़।

		3—श्री राजीव बनकटा, परियोजना निदेशक, डी0 आर0डी0ए0, प्रतापगढ़। 4—श्री आर0बी0पाल, तत्कालीन परियोजना निदेशक, प्रतापगढ़। 5—श्री शिव प्रसाद, नाजिर/स्टोर क्लर्क। 6—श्री शिव कुमार सिंह, परियोजना आर्थशस्त्री। 7—श्री राजाराम, लेखाकार 8—श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, सहायक लेखाकार/ क्लर्क। 9—श्री हरिशंकर दुबे, संख्या सहायक, 10—श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, क्लर्क/नाजिर 11—श्री राधा कृष्ण भारती, निरीक्षक संयुक्त समिति पंचायत उद्योग खोराबार, गोरखपुर। 12—श्री ए0के0 कुदेशिया, क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 लघु उद्योग नि0लि0, 5वी बटरा रोड,इलाहाबाद।

(4) उपर्युक्त से स्पष्ट है कि पुस्तकों/मुद्रित सामग्री की आपूर्ति लेने हेतु टेण्डर/कोटेशन की प्रकिया नहीं अपनायी गयी है, सामग्री की गुणवत्ता की जॉच किये बिना तथा प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर सामग्री की आपूर्ति नहीं ली गई, अपितु मनमाने ढ़ंग से बाजार मूल्य से पॉच गुनी कीमत पर आपूर्ति की गई। सामग्री की आवश्यकता का आंकलन भी नहीं किया गया तथा भारी मात्रा में मुद्रित सामग्री/किताबों की आपूर्ति लेने के निर्णय का आधार भी स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार संबंधित अधिकारियों द्वारा सामग्री के क्रय में भारी अनियमितता बरतकर काफी मात्रा में राजस्व की क्षति शासन को पहुॅचाई गई है तथा प्रश्नगत योजनान्तर्गत वर्ष 2003—04 में साहित्य/सामग्री की खरीददारी/आपूर्ति में फर्जी बिल नं0—1803, दिनांक 05.09.2003 लगाकर, फर्जी बिल व वितरण दर्शाकर, उसके भुगतान में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य ने षडयंत्र कर अनुचित लाभ प्राप्त करने व अपने पद का दुरूपयोग कर भारी मात्रा में वास्तविक मूल्य से 05 गुना ऊॅचे मूल्य पर सामग्री क्रय कर भुगतान कर राजस्व की क्षति शासन को पहुॅचाई गई है। इसके लिए ई0ओ0डब्ल्यू0 की जॉच आख्या में श्री संजय कृष्ण, तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी, झॉसी श्री अमर सिंह, तत्कालीन परियोजना निदेशक, श्री महेश चन्द्र साहू, परियोजना अर्थशास्त्री, श्री आर0के0 खरे, संख्या सहायक, श्री आर0के0 शर्मा, आंकिक, श्री धनीराम, लिपिक, डी0आर0डी0ए0, झॉसी श्री ए0के0 जायसवाल, क्षेत्रीय प्रबन्धक, यू0पी0एस0एस0, कानपुर, श्री अरूण कुमार राय, नि0 जौनपुर, श्रीमती मधु राय, नि0 जौनपुर, श्री अभय सिंह, नि0 सीतापुर तथा श्री सजल बनर्जी, लखनऊ को धारा—409/420/467/468/ 471/34/120बी भा0दं0वि0 व धारा—12(2) भ्र0नि0अधि0 का अपराध कारित करने हेतु उत्तरदायी बताया गया है। उक्त स्थिति के दृष्टिगत शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध संगत धाराओं में अभियोजन स्वीकृत करने पर विचार किया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

(5) जहॉ तक ई0ओ0डब्ल्यू0 की जॉच आख्या में मौलिक अभिनवीकरण प्रशिक्षण के कार्य हेतु उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराने का प्रश्न है, इस संबंध में ई0ओ0डब्ल्यू0 की जॉच आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि प्रशिक्षण से संबंधित उपस्थिति प्रमाणीकरण, बिल बाउचर्स इत्यादि संबंधित विकास खण्ड स्तर से ही प्रमाणित होकर अंतिम रूप से भुगतान हेतु डी0आर0डी0ए0, झॉसी को प्रेषित किये गये है, ऐसी स्थिति में बिना किसी ठोस कारण/विपरीत साक्ष्य के डी0आर0डी0ए0 स्तर से भुगतान रोकने या न करने का कोई औचित्य नहीं था। प्रशिक्षण का न होना मात्र कुछ व्यक्तियों के बयानों पर आधारित है। डी0आर0डी0ए0 कर्मियों की जिम्मेदारी तब होती जब प्रशिक्षण न होने तथा उस संबंध में फर्जी बिल बाउचर होने के संबंध में उनके

पास किसी अन्य स्रोत से सूचना/शिकायत प्राप्त होती और इसकी बिना सत्यता/शिकायत की जॉच कराये भुगतान कर दिया जाता। ई0ओ0डब्ल्यू0 की जॉच आख्या में इस तरह के किसी साक्ष्य का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके आधार पर यह सिद्ध हो सके कि डी0आर0डी0ए0 के अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्यथा संज्ञान में होते हुए भी ब्लाक स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से भुगतान की कार्यवाही कर दी गयी। जब विकास खण्ड स्तर से समस्त अभिलेख प्रमाणित होकर बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया तो जॉच आख्या में यह निष्कर्ष निकालना कि मुख्य विकास अधिकारी, झॉसी द्वारा बिना सत्यापित कराये आईडियल वेलफेयर सोसाइटी को भुगतान आदेश जारी कर दिया गया, उचित प्रतीत नहीं होता है। इस बिन्दु पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, झॉसी के अधिकारियों/कर्मचारियों का कोई बयान/स्पष्टीकरण का उल्लेख भी जॉच आख्या में नहीं किया गया है। इस प्रकार मौलिक अभिनवीकरण प्रशिक्षण के मामले में ई0ओ0डब्ल्यू0 की जॉच आख्या में विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराये जाने के लिए इंगित अधिकारियों/कर्मचारियों सर्वश्री कैलाश बहादुर श्रीवास्तव, लिपिक, राजकुमार कोरी, लिपिक, मनप्यारे, प्रवर ए0डी0ओ0, गजेन्द्र प्रताप सिंह, बी0डी0ओ0, अखिलेश कुमार वैश्य, लिपिक, धनीराम, लिपिक, राजेश कुमार शर्मा, आंकिक, राकेश कुमार खरे, संख्या सहायक, अमर सिंह, परियोजना निदेशक व जे0पी0 गुप्ता, मुख्य विकास अधिकारी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृत किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। पदीय कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन न करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। पदीय कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन न करने के लिए उक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर गुण–दोष के आधार पर विभागीय कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

3– कृपया उपरोक्तानुसार प्रकरण में ग्राम्य विकास विभाग का अभिमत गोपन विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। प्रकरण में अर्न्तगत ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरूद्ध लिए गए निर्णयानुसार विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।